न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/फास्ट ट्रैक न्यायालय संख्या–2, फतेहपुर।

सत्र परीक्षण संख्या–315 सन् 2017
सरकार बनाम पप्पू आदि।

अपराध सं0–187/2012
धारा–498ए,304बी भा0दं0सं0
व 3/4 डी.पी.एक्ट
थाना–हुसेनगंज, फतेहपुर।

05.06.2018

पत्रावली पेश हुयी।
पत्रावली प्रार्थना पत्र 7अ के निस्तारण हेतु नियत है।
उक्त प्रार्थना पत्र पर उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ता को सुना जा चुका है।

निस्तारण प्रार्थनापत्र 7अ व आपत्ति 8ब

उक्त प्रार्थना पत्र 7अ प्रार्थीगण/अभियुक्तगण पप्पू उर्फ संतोष आदि की ओर से इस आशय का प्रस्तुत किया गया है कि मामला दिनांक 20.06.2012 समय करीब 08.00बजे की कही गयी है। लालटेन में तेल डालने के बाद तेल का डिब्बा ऊपर रखने पर लुढक जाने से कही गयी है जिसके कारण मृतका सुशीला व ससुर बाबू लाल कोजलने की चोटें आयी। आग लगने की स्थिति में बाबूलाल ने बचाने का प्रयास किया जिससे उसे भी जलने की चोटें आयी। पुलिस को सूचना हुई सुशीला व बाबू लाल को सदर अस्पताल फतेहपुर में भर्ती कराया गया जहॉ दोनों का इलाज हुआ और दौरान इलाज सुशीला की मौत हो गयी। अस्पताल में सुखई व सुमिरती भी सूचना पर आयी और उपस्थित रही एवं चोटहिल सुशीला से बातचीत हुयी कोई दहेज से संबंधित मामला नहीं था बल्कि एक दुर्घटना थी। सुखई सूचनाकर्ता के दिमाग में लालच आ गया और उसने दुर्घटना के नौवें दिन अर्थात दिनांक 29.06.2012 को प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराने में सफल हो गया। विवेचक द्वारा घटना के तमाम तफतीश के बाद मामला झूॅठा व दहेज हत्या का न पाते हुए अन्तिम रिपोर्ट न्यायालय में प्रेषित किया गया। सुशीला चोटहिल का मृत्युकालिक कथन दिनांकी 13.06.2012 को जिला चिकित्सालय फतेहपुर में मजिस्ट्रेट द्वारा लिया गया जिसमें मृत्यु पूर्व सुशीला ने सभी तथ्यों व परिस्थितियों को स्पष्ट किया है तथा यह भी स्पष्ट किया कि घर में लालटेन बुझ जाने पर उसमें तेल डालने के लिए अटारी पर रखे मिट्टी के तेल के डिब्बे को उठाकर लालटेन में तेल डाला तथा डिब्बे को अटारी पर रखने लगी डिब्बे का ढक्कन ढीला था जिससे वह लुढककर मेरे ऊपर गिरने से तेल कपडों पर फैल गया इसी दौरान मेरे द्वारा लालटेन जलाने के लिए माचिस जलाई गयी जिससे आग तेजी से फैल गयी। मेरे चिल्लाने पर घर में मौजूद सभी सदस्यों द्वारा आग बुझाने का प्रयास किया गया तथा मुझे इलाज हेतु सदर अस्पताल में भर्ती किया गया। आग लगने की घटना दुर्घटनावश हुई है आग किसी के द्वारा लगायी नहीं गयी। मृतका का मृत्यु पूर्व मृत्यु कालिक बयान जो कि मुख्य व सुसंगत साक्ष्य है। यह प्राकृतिक साक्ष्य है जिसपर अविश्वास नहीं किया जा सकता है। मृतका का पोस्ट मार्टम रिपोर्ट दिनांक 22.06.2012 को हुआ जिसपर मृतका के शरीर पर कोई मार पीट की चोटें दर्शित नहीं है अर्थात मारपीट, टार्चर वगैरह का कोई साक्ष्य नहीं है। मृतका सुशीला को इलाज हेतु सदर अस्पताल फतेहपुर में भर्ती कराया गया

है। विवेचक ने वादी, गवाहान एवं अन्य स्वतन्त्र साक्षियों के बयानात लिये व निरीक्षण घटनास्थल किया। जिसमें किसी भी प्रकार का साक्ष्य, संकेत मृतका सुशीला देवी को दहेज के लिये मारे जाने का नहीं है।

विवेचक द्वारा फाइनल रिपोर्ट न्यायालय में दाखिल करने पर सूचनाकर्ता सुखई ने प्रोटेस्ट प्रार्थना पत्र दिया जिसे परिवाद के रूप में ट्रीट करते हुए धारा 200 दं0प्र0सं0 के सुखई के बयान व सुमिरती देवी को पी0डब्लू0–1 व पी0डब्ल0–2 कमलेश का बयान एवं पी0डब्लू0–3 डा0जे0एल0एम0 कुशवाहा के बयान हुए और माननीय अधीनस्थ न्यायालय ने धारा 498ए,304बी आई.पी.सी. व धारा 3/4 डी.पी.एक्ट में मुल्जिमान को तलब किया गया। सूचनाकर्ता सुखई मृतका का सगा पिता नहीं है सुमिरती के पति हरिशंकर के मरने के बाद सुमिरती ने सुखई के साथ शादी कर ली है। सुमिरती देवी पी0डब्लू0–1 व पी0डब्ल0–2 कमलेश ने लालच के वशीभूत होकर झूँठी व गलत बयानी परिवाद में दर्ज करायी है जिसका कोई कानूनी महत्व नहीं है। यह दोनों हितबद्ध गवाह हैं और अभियुक्तगण से गलत ढंग से वसूली करने की मंशा रखते हैं। प्रार्थीगण अत्यन्त गरीब परिवार है जीविका का साधन मात्र मजदूरी है। शादी बिना दान दहेज के हुयी थी कोई का लेनदेन नहीं हुआ इसलिए दहेज मॉगने की बात निराधार है। माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद में इस मुकदमें में तलब किये गये मुल्जिमान द्वारा रिट की गयी थी जिसमें अभियुक्त नीतू व पिंकी के खिलाफ मुकदमा समाप्त कर दिया गया है। मुकदमें की साक्ष्य अधिनियम की धारा–114 का अनुपालन नहीं किया गया है उससे बाधित है अर्थात किसी घटना के तथ्यों की उपधारणा प्राकृतिक अनुक्रम में नहीं की गयी है इसलिए भी कोई मामला नहीं बनता है। प्रार्थीगण/अभियुक्तगण को प्रस्तुत मामले में उन्मोचित किये जाने की याचना की गयी है।

विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी के द्वारा अभियुक्तगण की ओर से प्रस्तुत प्रार्थनापत्र में किये गये कथनों के विरूद्ध आपत्ति 8ब इस आशय के साथ प्रस्तुत की गयी है कि अभियुक्तगण का प्रार्थना पत्र पत्रावली में उपलब्ध साक्ष्य के विपरीत है। मृतका की मृत्यु उसके विवाह के सात वर्ष के अन्तर्गत अभियुक्तगण द्वारा की गई क्रूरता व प्रताडना व दहेज की मॉग पूरी न होने के कारण हुयी है। वादी व अन्य गवाहान ने विवेचक द्वारा प्रेषित अन्तिम आख्या का विरोध करते हुए दहेज हत्या के संबंध में साक्ष्य दी है जिसके आधार पर अभियोगीगण के खिलाफ आरोप विरचित किये जाने हेतु पर्याप्त आधार मौजूद है। प्रार्थना पत्र निरस्त किये जाने की याचना की गयी है।

अभियुक्तगण की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता की ओर से यह तर्क दिया गया है कि मृतका लालटेन में तेल डालकर तेल का डिब्बा ऊपर अटारी पर रखते समय गिर जाने से आग लग गयी जिसे उसके ससुर द्वारा बचाने का प्रयास किया गया जिसपर वह भी जल गये। मृतका को अस्पताल इलाज हेतु ले गये। जहॉ पर उसका इलाज चला तथा उसका मृत्युकालिक बयान मजिस्ट्रेट द्वारा अंकित किया गया जिसमें मृतका ने अचानक दुघर्टना होने का कथन किया है।

अभियुक्तगण की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह भी तर्क दिया गया है कि विवेचक द्वारा सम्पूर्ण विवेचना किये जाने के उपरान्त मामला सही न पाते हुए उक्त मामले में अन्तिम रिपोर्ट न्यायालय में प्रेषित कर दी गयी। जिसके पर न्यायालय द्वारा पुनः विचारण हेतु तलब किया गया है। इस प्रकार से पत्रावली पर ऐसा कोई मौखिक एवं चिकित्सीय साक्ष्य उपलब्ध नहीं है जिससे यह स्पष्ट हो सके कि अभियुक्तगण उक्त मामले में

दोषी है तथा वादी की ओर से उक्त मामले की प्रथम सूचना रिपोर्ट पैसों के लालच में ही अंकित करायी गयी है। ऐसी स्थित में अभियुक्तगण पप्पू आदि को उपरोक्त अपराध में डिस्चार्ज किया जाना न्यायोचित है।

अभियोजन पक्ष की ओर से विद्धान अधिवक्ता द्वारा तर्क दिया गया है कि मृतका की शादी हुए अभी सात वर्ष भी नहीं हुए थे कि उसे दहेज की मॉग पूरी न होने के कारण जलाकर अभियुक्तगण द्वारा हत्या कर दी गयी है। उक्त घटना के संबंध में पत्रावली पर पर्याप्त साक्ष्य उपलब्ध है। ऐसी स्थित में अभियुक्तगण उक्त मामले में मुल्जिम हैं उन्हें डिस्चार्ज किये जाने का कोई आधार नहीं बनता है और प्रार्थना पत्र किये जाने डिस्चार्ज निरस्त होने योग्य है।

अभियुक्तगण की ओर से उपस्थित विद्धान अधिवक्ता एवं अभियोजन पक्ष की ओर से उपस्थित विद्धान अधिवक्ता एवं विद्धान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता, फौजदारी को सुना तथा पत्रावली का सम्यक् रूप से परिशीलन किया गया।

उभय पक्षों के विद्धान अधिवक्तागण की ओर से प्रस्तुत तर्को को सुनने एवं पत्रावली के अवलोकन से मैं पाता हूॅ कि वादी मुकदमा सुखई की ओर से अभियुक्तगण के विरूद्ध प्रस्तुत लिखित तहरीर में किये गये अभियोजन कथानांक के अनुसार घटना दिनांक 20.06.2012 की कही जाती है जिसमी प्रथम सूचना रिपोर्ट दिनांक 29.06.2012 को अंकित हुई। वादी सुखई ने अपनी पुत्री सुशीला देवी की शादी दिनांक 25.06.2011 को पप्पू पुत्र बाबू लाल के साथ किया था और अपनी हैसियत के अनुसार दान दहेज दिया था, परन्तु ससुरालीजन पप्पू पति, बाबू लाल ससुर, लोडिया सास, मनोज जेठ, संदीप देवर, नीतू जेठानी, पिंकी ननद कम दहेज के बावत आए दिन पुत्री को प्रताडित करते थे उसने कई बार समझाया बुझाया परन्तु उक्त दहेज लोभी बीस हजार रूपया उसके के न देने के कारण उसकी लडकी को दिनांक 20.06.12 की रात्रि समय लगभग 8.00बजे आग लगाकर मारने का प्रयास किया, परन्तु शोरशुल सुनकर मोहल्ले के लोगों ने दौडकर आग बुझाई एवं उपरोक्त लोगों को डांट डपट इलाज हेतु सदर अस्पताल में भर्ती कराया। उसको घटना के दूसरे दिन दीगर व्यक्ति से सूचना मिली तो वह तुरन्त जिला अस्पताल पहुॅचकर अपनी लडकी को जली हुई अवस्था में देखा तो उसका सम्पूर्ण शरीर जल चुका था तथा पुत्री जीवन मरण का संघर्ष कर रही थी जिसकी दौरान इलाज दिनांक 22.06.12 को मृत्यु हो गयी। उपरोक्त घटना की सूचना उसने संबंधित थाना हुसेनगंज में दिया, परन्तु उपरोक्त दोषी दहेज लोभियों के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की गयी है जिससे उपरोक्त लोगों का मनोबल बढा हुआ है तथा बराबर इस बात की धमकी दे रहे है कि अगर उनके खिलाफ कोई कार्यवाही किया तो परिणाम अच्छे नहीं होगें। उपरोक्त दहेज लोभियो पप्पू पति, बाबूलाल ससुर, मनोज जेठ, संदीप देवर, नीतू जेठानी, पिंकी ननद के विरूद्ध मुकदमा पंजीकृत कराकर दण्डात्मक कार्यवाही करने हेतु संबंधित थाना हुसेनगंज को निर्देशित किये जाने की याचना की गयी है।

जहॉ अभियुक्तगण के द्वारा प्रार्थनापत्र उपरोक्त अपराध में डिस्चार्ज किये जाने हेतु प्रस्तुत किया गया है वहॉ विवेचक द्वारा न्यायालय में प्रेषित अन्तिम आख्या को निरस्त करते हुए न्यायालय द्वारा उपरोक्त मामले को परिवाद के रूप में विचारण किये जाने का आदेश पारित किया गया तथा परिवादी/अभियोजन की ओर से प्रस्तुत पर्याप्त साक्ष्य के आधार पर अभियुक्तगण पप्पू, बाबूलाल, लोडिया, मनोज, संदीप, नीतू व पिंकी को धारा

498ए, 304बी भा0दं.सं. व 3/4 डी.पी.एक्ट में विचारण हेतु तलब किया गया। ऐसी स्थित में दस्तावेजी साक्ष्य परीक्षा करने के बाद न्यायालय अभियुक्तगण के विरूद्ध प्रथम दृष्टया मामला आरोप विरचित किये जाने हेतु पाता है तो मामले की कार्यवाही से अभियुक्तगण पप्पू उर्फ संतोष, लोडिया उर्फ सरोज कुमारी, संदीप व मनोज को डिस्चार्ज करने के अभिवचन को अस्वीकार्य किया जा सकता है और अभियुक्तगण के विरूद्ध आरोप की बिरचना की कार्यवाही प्रारम्भ की जा सकती है।

विजयभाई बनाम स्टेट आफ राजस्थान 1990 सी0आर0एल0 जे0– 1734, में यह अभिधारित किया गया है कि अभिलेख की परीक्षा किये जाने में कोई अवैधता नहीं थी, क्योंकि न्यायालय को विचार करना पडता कि साक्ष्य की मौजूद साक्षिक सामग्री अभियुक्त को अपराध से युक्ति युक्त रूप से सम्बद्ध कर देती है।

माननीय उच्चतम न्यायालय की विधि व्यवस्था **ओम प्रकाश शर्मा बनाम सी0बी0आई0, ए0आई0आर0 2000 एस0सी0– 2335,** में यह व्यवस्था दी है कि अभियुक्त का उन्मोचन करने के लिए कारण स्पष्ट करना जरूरी है। यदि अभियुक्त के विरूद्ध आरोप बिरचित करने है तो कारण उल्लिखित करना जरूरी नहीं है। आरोप बिरचित करते समय न्यायालय को मात्र पुलिस रिपोर्ट और उसके धारा 173 दं0प्र0सं0 में भेजे गये दस्तावेजों को ध्यान में रखना चाहिए। न्यायालय यदि जरूरी समझे तो अभियुक्त को सुने जाने का अवसर प्रदान कर सकता है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि उच्च न्यायालय ने अभियुक्त द्वारा दायर किये गये दस्तावेजों पर भरोसा करके जो कि उसके निर्दोष होने का निष्कर्ष निकाला था वह उचित नहीं था।

स्टेट आफ एन्टी करैप्शन ब्यूरो बनाम पी0 सत्याप्रकारन (1999) एस.सी.सी. (क्रिमिनल) 373 एक अन्य विधि व्यवस्था **कान्ती भद्रशाह बनाम स्टेट आफ बेस्ट बंगाल ए0 आई0आर0 2000 एस0सी0–522**, माननीय उच्चतम न्यायालय की विधि व्यवस्था **अरूण ब्यास बनाम अमिता ब्यास ए0आई0आर0 1990 एस0सी0 2071,** में व्यवस्था दी है कि विचारण न्यायालय के लिए आरोप विरचित करने के लिए कारण युक्त तथा विस्तृत निर्णय लिखना जरूरी नहीं है।

अभियोजन द्वारा न्यायालय के समक्ष पेश किये गये दस्तावेजों की समीक्षा करने के सम्बन्ध में माननीय उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि यह बिलकुल निश्चित है कि आरोप विरचित करने के समय न्यायालय को दस्तावेजों की विशेष छानबीन जरूरी नही है उसे यह पता लगाना जरूरी नहीं है कि अभियुक्त के विरूद्ध मामला बनता है या नहीं। उसे केलव यह देखना होता है कि अभियुक्त के विरूद्ध प्रथम दृष्टया मामला बन रहा है। यह भी निश्चित नियम है कि जब अभियुक्त आरोप बिरचित करते समय आरोपों के अभिखण्डन के लिए प्रार्थनापत्र दायर करता है न्यायालय को तब तक हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, जब तक यह निश्चित न हो जाये कि न्यायहित में अभियुक्त के प्रति अन्याय होने से रोकने के लिए अभियुक्त के विरूद्ध लगाये गये आरोपों से अभिखण्डित करना जरूरी है। ऐसे आदेश अपवादित मामलों में विरल परिस्थितियों में ही पारित किया जाना चाहिए। यही विधि व्यवस्था **स्टेट आफ देहली बनाम ज्ञान देवी ए 0आई0आर0 2001 एस0सी0–40,** में दी गयी है।

ए0आई0आर0 2000 एस0सी–665 एम0पी0 बनाम एस0बी0जौहरी, ए0आई0 आर0 1991 एस0सी0 1208 स्टेट आफ बिहार बनाम राज नरायन एवं **ए0आई0आर0 1997 एस0सी02041 स्टेट आफ महाराष्ट् बनाम प्रिया शरन महाराज** व **श्रीमती ओमवती तथा**

अन्य बनाम देहली एडमिनिस्ट्रेशन तथा अन्य 2001(2) यू0पी0 सी0आरआर 85(सुको) विधि व्यवस्था में इसे स्पष्ट रूप से उल्लिखित कर दिया है कि ''अधिनियम की धारा 227 के अनुसार आदेश पारित करने की स्टेज पर न्यायालय को यह जानने के लिए कि अभियुक्त के विरूद्ध आगे बढने के लिए पर्याप्त आधार है या नहीं, साक्ष्य का परिशीलन करना होगा। उसका विचार करने पर यदि न्यायालय संतुष्ट हो जाता है कि अभियुक्त के विरूद्ध प्रथम दृष्टया मामला बनता है तो अधिनियम की धारा 228 के अनुसार आरोप बिरचित करने के लिए आगे बढेगा।''

ए0आई0आर0 2007 एस0सी0 2149 सोमा चक्रवर्ती बनाम स्टेट व **ए0आई0 आर0 1996 एस0सी0 1744 स्टेट आफ महारास्ट् बनाम सोमनाथ थापा** दी गयी है।

पत्रावली व उस पर उपलब्ध दस्तावेजीय अन्य पुलिस प्रलेखों के परिशीलन से स्पष्ट है कि वादी सुखई ने अपनी पुत्री सुशीला देवी की शादी वर्ष 2011 में पप्पू उर्फ संतोष के साथ किया था, किन्तु दिए गए दान दहेज से उसकी पुत्री के ससुरालीजन पति, सास, ससुर, जेठ, देवर आदि खुश नहीं थे और अतिरिक्त दहेज की मॉग करते रहे न मिलने पर मृतका को प्रताडित करते थे और दिनांक 20.06.2014 को मिटटी का तेल डालकर जलाने का प्रयास किया जिससे दौरान इलाज उसकी मृत्यु हो गयी।

जैसा कि माननीय उच्च न्यायालय एवं माननीय उच्चतम न्यायालय की प्रस्तुत विधि व्यवस्थाओं में ऊपर अभिव्यक्त किया गया है। उपरोक्त समस्त तथ्यों के आधार पर न्यायालय इस निष्कर्ष की है कि इस स्तर पर प्रस्तुत मामले अभियुक्तगण पप्पू उर्फ संतोष, बाबू लाल, लोडिया उर्फ सरोज कुमारी, संदीप व मनोज को उक्त अपराध में डिस्चार्ज करने का कोई औचित्य नहीं बनता है और अभियुक्तगण के विरूद्ध प्रथम दृष्टया आरोप बिरचित किया जाना न्यायोचित होगा। तदनुसार अभियुक्तगण की ओर से प्रस्तुत कार्यवाही स्थगित करने का प्रार्थनापत्र 12अ इस स्तर पर स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है।

<u>आदेश</u>

अभियुक्तगण की ओर से प्रस्तुत प्रार्थनापत्र 7अ निरस्त किया जाता है।

पत्रावली लंच बाद वास्ते विरचित किये जाने आरोप पेश हो।

अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/
एफ0टी0सी0, न्यायालय सं0–2,
फतेहपुर।
05.06.2018